


अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह गत रखते हुए कि ऐसा करने की लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतद्वारा नगर निगम जयपुर-ग्रेटर/हैरिटेज सीमा में स्थित जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जयपुर की सम्पत्तियों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय नगरीय विकास कर के भुगतान से वर्ष 2010-11 से छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(उज्जवल राठीडे)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/19/ 43031-37

दिनांक: 04/06/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. प्राधिकारी/आयुक्त नगर निगम जयपुर-ग्रेटर/हैरिटेज, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबंधक निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. जयपुर।
5. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. नोडल अधिकारी मॉनेटरींग सेल ईगर्वनेन्स को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी